न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

राजस्व अपील संख्या=201/2023 (GCMS Portal No- 2023/242)

तारीख हुक्म	आबिद हुसैन V/s मोहम्मद हुसैन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09/12/2025	पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आइन्दा दिनांक 16/12/2025 को पेश हो। Sd/- कलक्टर नागौर	
16/12/25	वकुलाय ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आइन्दा दिनांक 24/12/2025 को पेश हो। Sd/- कलक्टर नागौर	
24/12/2025	पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण ने आज न्यायिक कार्य में भाग नहीं लिया है। पत्रावली दिनांक 07/01/2026 को पेश हो। Sd/- कलक्टर नागौर	
07/01/2026	वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पिथासिया तहसील व जिला नागौर के खसरा नम्बर 110 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 06/2018 श्री मोहम्मद हुसैन बनाम राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का हरीमा दर्ज रजिस्टर कर श्रीमती जफरन द्वारा लिखी गयी वसीयत के सम्बन्ध में स्वतन्त्र गवाहान के बयान आदि के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर दिनांक 11.06.2018 को निर्णय पारित कर ग्राम पिथासिया तहसील व जिला नागौर के खसरा नम्बर 110 रकबा 13.14 बीघा भूमि का नामान्तरकरण श्री मौहम्मद हुसैन पुत्र श्री घीसू जाति– मुसलमान हमाल निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर के नाम जरिये नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण में नामान्तकरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर, उक्त संबंध में गवाहान के बयान के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जो दस्तावेज को साबित कर निर्णय पारित किया गया होने से न्यायालय हाजा को हस्तगत राजस्व अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। Sd/-	

कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) के तहत कार्यवाही कर नामान्तरकरण के संबंध में पारित आदेश जैर अपील की प्रथम अपील राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75(च) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है, ऐसे में धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित नामान्तकरण दर्ज आदेश जैर अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा (कलक्टर) को नहीं हैं। अतः वकील अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार मूल अपील लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को पालनार्थ मय मूल अभिलेख के भिजवाई जावे। आदेश आज दिनांक 07.01.2026 को सुनाया गया। कलक्टर नागौर	